ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "04/21 से 03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री स्वरूप चन्द	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मोहिन्दर सिंह	01-04-21 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बड़सर के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.98
2.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में बहुत ज्यादा	7.41

		अंतर पाया जाना	
3.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.43
4.	9	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	1.32
5.	12	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के लेखांकन के फलस्वरूप अधिक/अनियमित भुगतान/व्यय करना	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्रायः यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2014 से 03/2017" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
7	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	

11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 22-11-2023 से 01-12-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय, बड़सर में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	11/21
2022-23	03/23	05/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 124 दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़सर से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बड़सर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत बड़सर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	453085.12	382657.75	835742.87	424685.73	411057.14
2022-23	411057.14	152909.00	563966.14	353595.40	210370.74

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत बड़सर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	2606234.90	4919086.03	7525320.93	4846926.49	2678394.44
2022-23	2678394.44	8379585.40	11057979.84	7459952.38	3598027.46

{ग}दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/VKVNY/RGSA/PS/ZP	KCC	20081005324	844521.69
2.	14 FC	KCC	50068190239	0.00
3.	15 FC	IDBI	19104000030205	2010558.45
4.	VKVNY	IDBI	19104000013369	531894.01
5.	LADA	IDBI	19104000013341	404299.00
6.	GENERAL	IDBI	19104000013253	5060.60
7.	MPLAD	IDBI	19104000013314	5200.40
8.	SBM/TSC	IDBI	19104000013350	0.00
9.	GENERAL	HGB	87710100087953	6864.05

10.	PS	HGB	87710100103129	0.00
11.	SDP	HGB	87710100103095	0.00
12.	NC	HGB	87710100103165	0.00
13.	ZP	HGB	87710100103138	0.00
14.	**हस्तगत रोकड़**			0.00
कुल योग				**3808398.20/-**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	3808398.20
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	3808398.20
अंतर	0

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान

अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹35.98 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि **₹3598027.46** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122(1) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़सर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इन को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹7.41 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (except manrega)

क्रम स.	माह	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	3/22	435960.05	550118.93	114158.88	351506.29	343644.12	7862.17
2	5/22	78449	79449.00	1000	213882.05	216882.05	3000
3	3/23	318769	344300.00	25531	575757.40	575757.40	0

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	2137650.05	2169976.83	32326.78	1795143.74	2139845.27	344701.53
2	22-23	4413200.40	4334685.00	78515.40	3912771.60	3615738.38	297033.22

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	4548774.11 + 875(Cash in Hand) = 4549649.11	3808398.20	**741250.91**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122(3) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.43 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है, के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹43144 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	470	50	43844	23500	67344	48700	18644
2022-23	490	50	18644	24500	43144	0	43144

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना

तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122(2) दिनांक 30.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है | पैरा 3.4 (ii) के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25 % की बढ़ौत्तरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नही चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नहीं चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-2022 में पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मोबाइल टावर कंपनी से वसूली योग्य राशि की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की सकी । जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122(6) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमिता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में व

उनके प्रतिउतर उनके प्रतिउतर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹1.32 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**131746/-** का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि**
रेत	89.20	1.62	144.50	60	8670
बजरी	175.58	1.52	266.88	60	16013
रेत	207.87	1.62	336.75	80	26940
बजरी	442.22	1.52	672.17	80	53774
				कुल योग	**105397**
				पेनल्टी 25%	**26349**
				कुल योग	**131746/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122(3) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी।

अतः **₹131746/-** के उक्त अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

10. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 11/21 व 05/22 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 11/21 व 05/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123(8) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनुसार समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकरियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के

अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पृष्ट संख्या
1	निर्माण कार्य पक्का रास्ता प्रोजेक्ट रोड से छान्गा राम, पतासो देवी हाउस	VKVNY	50000	12419/66-67
2.	निर्माण एक नंबर दुकान नजदीक आंगनवाड़ी केंद्र व दोनंबर दुकानबटोला हाउस	14TH FC	500000	12484/37-43
3.	निर्माण कार्य पक्का रास्ता में रोड से ठाणु राम दुकान	15TH FC	200000	12484/37-43

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123(9) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/BADSAR/408दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वास्नानुसार उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के लेखांकन के फलस्वरूप राशि ₹0.06 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान/व्यय करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों अवलोकन में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (बजरी) का निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (बजरी) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या/ पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	निर्माण कार्य एक नंबर दुकान नजदीक आंगनवाड़ी केंद्र व दो नंबर दुकान बटोला हाउस	12484/37 -43	बजरी	1000 CFT	909CFT	91CFT	40.00	3640
	कुल योग (1)							**3640**
2	निर्माण कार्य पक्का रास्ता में रोड से ठाणु राम दुकान	12419/88 -89	बजरी	1200 CFT	1148 CFT	52 CFT	40.00	2080
							कुल योग (2)	**2080**
							कुल योग (1+2)	**5720/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123(10), 123(11) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री के अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त

राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123(12) दिनांक 01.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/BADSAR/408 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति एवं अंकेक्षण को दिये आश्वासन अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
2	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
3	बिल रजिस्टर	13	48
4	स्थाई एवं अस्थाई भण्डा रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

15. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

16. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

23 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

517 – 521

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)157/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT BADSAR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176059

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	453085.12	382657.75	835742.87	424685.73	411057.14

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 453085.12

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT BALLA BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176059

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	411057.14	152909.00	563966.14	353595.40	210370.74

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 411057.14

Ajay
J.A

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT BADSAR
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P.

परिशिष्ट - 'क' पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP BADSAR BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	955815.85	172517.08	1128332.93	959043.85	169289.08
2	MGNREGA	0	3131766.95	3131766.95	3131766.95	0.00
3	ZP	15090.1	49274.00	64364.10	64364.10	0.00
4	5TH FC	108588	135000.00	243588.00	171690	71898.00
5	AAY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	24145.4	416.00	24561.40	19514.00	5047.40
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	154480.6	146771.00	301251.60	95571.64	205679.96
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	181567.75	1241.00	182808.75	157308.75	25500.00
12	LADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	500000	300000.00	800000.00	216421.00	583579.00
14	SDP	30258.2	988.00	31246.20	31246.20	0.00
15	SBM/TSC	785	24.00	809.00	0.00	809.00
16	15TH FC	635504	981088.00	1616592.00	0.00	1616592.00
	TOTAL	2606234.90	4919086.03	7525320.93	4846926.49	2678394.44

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP BADSAR BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	169289.08	31089.00	200378.08	200378.08	0.00
2	MGNREGA	0.00	4197809.40	4197809.40	4197809.40	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	71898.00	209400	281298.00	213200	68098.00
5	AAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	5047.40	153	5200.40	0	5200.40
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	205679.96	626074	831753.96	431777.75	399976.21
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	25500.00	4500.00	30000.00	0.00	30000.00
12	LADA	0.00	1798601.00	1798601.00	1394302.00	404299.00
13	RGSA	583579.00	96000.00	679579.00	159534.60	520044.40
14	SDP	0.00	378000.00	378000.00	218149.00	159851.00
15	SBM/TSC	809.00	10.00	819.00	819.00	0.00
16	15TH FC	1616592.00	1037949.00	2654541.00	643982.55	2010558.45
	TOTAL	2678394.44	8379585.40	11057979.84	7459952.38	3598027.46

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 2678394.44

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT BADSAR
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P.

Ajay
J.A

BANK DETAIL OF GP BADSAR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/VKVNY/RG SA/PS/ZP	KCC	20081005324	1000152.17
2	14 FC	KCC	50068190239	955815.85
3	15 FC	IDBI	19104000030205	635504
4	VKVNY/SDP	IDBI	19104000013369	48677.00
5	LADA	IDBI	19104000013341	0
6	GENERAL	IDBI	19104000013253	208452
7	MPLAD	IDBI	19104000013314	24145.4
8	SBM/TSC	IDBI	19104000013350	785
9	GENERAL	HGB	87710100087953	74833
10	PS	HGB	87710100103129	67833.9
11	SDP	HGB	87710100103095	30275.9
12	NC	HGB	87710100103165	9520.9
	ZP	HGB	87710100103138	3324.9
13	CASH IN HAND			0
			TOTAL	**3059320.02**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/VKVNY/RG SA/PS/ZP	KCC	20081005324	965237.29
2	14 FC	KCC	50068190239	169289.08
3	15 FC	IDBI	19104000030205	1616592.00
4	VKVNY	IDBI	19104000013369	109129.76
5	LADA	IDBI	19104000013341	0.00
6	GENERAL	IDBI	19104000013253	142647.00
7	MPLAD	IDBI	19104000013314	5047.40
8	SBM/TSC	IDBI	19104000013350	809.00
9	GENERAL	HGB	87710100087953	90803.05
10	PS	HGB	87710100103129	0.00
11	SDP	HGB	87710100103095	0.00
12	NC	HGB	87710100103165	0.00
	ZP	HGB	87710100103138	0.00
13	CASH IN HAND			0.00
			TOTAL	**3099554.58**

PANCHAYAT HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BADSAR
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P.

Ajay
J.A

BANK DETAIL OF GP BADSAR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/VKVNY/RGS	KCC	20081005324	844521.69
2	14 FC	KCC	50068190239	0.00
3	15 FC	IDBI	19104000030205	2010558.45
4	VKVNY	IDBI	19104000013369	531894.01
5	LADA	IDBI	19104000013341	404299.00
6	GENERAL	IDBI	19104000013253	5060.60
7	MPLAD	IDBI	19104000013314	5200.40
8	SBM/TSC	IDBI	19104000013350	0.00
9	GENERAL	HGB	87710100087953	6864.05
10	PS	HGB	87710100103129	0.00
11	SDP	HGB		0.00
12	NC	HGB		0.00
	ZP	HGB		0.00
13	CASH IN HAND			0.00
			TOTAL	3808398.20

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BADSAR
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

Ajay
J.A

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT BADSAR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	470	50	43850	23500	67350	48700	18650

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT BADSAR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	490	50	18650	24500	43150	0	43150

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT BADSAR
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P.